रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 975] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2002/कार्तिक 23, 1924

No. 975] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2002/KARTIKA 23, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2002

का.आ. 1199(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 84(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्यांक	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"63	अध्यक्ष, सदस्य सचिव, निदेशक, अपर निदेशक, ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, ज्येष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरणीय इंजीनियर, वैज्ञानिक 'ग', सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर और वैज्ञानिक 'ख' केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14)।
64	संयुक्त सचिव, सलाहकार, निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जो नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में, उसके प्रादेशिक कार्यालय सहित हैं।"।	

[फा. सं. 1(5)/95-पीएल(भाग)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी, 1987 के का.आ. 84(अ) द्वारा प्रकाशित हुई और दिनांक 18 जनवरी, 1988 के का.आ. 63(अ), 3 सितम्बर, 1996 के का.आ. 622(अ) और 10 जुलाई, 2002 के का.आ. 728(अ) के द्वारा आगे संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2002

S.O. 1199(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 84(E), published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 16th February, 1987, namely:—

In the said notification, in the Table, for serial number 63 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
"63	Chairman, Member Secretary, Director, Additional Director, Senior Environmental Engineer, Senior Scientists, Environmental Engineer, Scientist 'C', Assistant Environmental Engineer and Scientist 'B', of the Central Pollution Control Board.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).
64	Joint Secretary, Adviser, Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, New Delhi including its Regional Offices."	

[F. No. 1(5)/95-PL(Part)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 84(E) dated 16th February, 1987 and further amended vide S.O. 63(E) dated 18th January, 1988, S.O. 622(E) dated 3rd September, 1996 and S.O. 728(E) dated 10th July, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2002

का.आ. 1200(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्यांक	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"63	अध्यक्ष, सदस्य सचिव, निदेशक, अपर निदेशक, ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, ज्येष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरणीय इंजीनियर, वैज्ञानिक 'ग', सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर और वैज्ञानिक 'ख' केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, अधिनियम, 1981 (1981 का 14)।

1	2	3
64	संयुक्त सचिव, सलाहकार, निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जो नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में, उसके प्रादेशिक कार्यालय सहित हैं।"।	

[फा. सं. 1(5)/95-पीएल(भाग)]
सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी, 1987 के का.आ. 83(अ) द्वारा प्रकाशित हुई और दिनांक 18 जनवरी, 1988 के का.आ. 63(अ), 3 सितम्बर, 1996 के का.आ. 622(अ) और 10 जुलाई, 2002 के का.आ. 727(अ) के द्वारा आगे संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2002

S.O. 1200(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 83(E), dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 16th February, 1987, namely:—

In the said notification, in the Table, for serial number 63 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Serial No	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
"63	Chairman, Member Secretary, Director, Additional Director, Senior Environmental Engineer, Senior Scientists, Environmental Engineer, Scientist 'C', Assistant Environmental Engineer and Scientist 'B', of the Central Pollution Control Board.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).
64	Joint Secretary, Adviser, Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, New Delhi including its Regional Offices."	

[F. No. 1(5)/95-PL(Part)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 83(E) dated 16th February, 1987 and subsequently amended vide S.O. 63(E) dated 18th January, 1988, S.O. 622(E) dated 3rd September, 1996 and S.O. 727(E) dated 10th July, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.